FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

...ज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी..........

प्रार्थीगण **बनाम**	विप्रार्थीगण
सुभाष पुत्र वीरा 2. बाबूराम पुत्र वीरा जाति विश्नोई निवासी लाला की बेरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर	1. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड गुड़ामालानी 2. सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड गुड़ामालानी 3. मै0 भजनलाल विश्नोई कन्ट्रक्शन कम्पनी फर्म ठेकेदार भजनलाल विश्नोई सदराम की बेरी तहसील सेडवा जिला बाड़मेर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखड़ा

किस्म मुकदमा......धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु0नं0...07 / 23.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
05.01.2023	प्रार्थीगण **सुभाष** वगैरा की ओर से **यह** प्रार्थना **पत्र** वकील श्री हरीश चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड गुड़ामालानी वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की अराजी मौजा लाला की बेरी तहसील नौखडा में खेत खसरा नम्बर 281/2 रकबा 0.3237 हैक्टेयर की अवस्थित है, जिसमें प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, प्रार्थीगण का रहवासी घर बना हुआ है, जिसके सेढा–सेढ खेत खसरा संख्या 282 तथा उक्त खसरे के सेढे के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 284 राजस्थान सरकार के पक्ष में रास्ता दर्ज है, यह रास्ता प्रार्थीगण के खसरा संख्या 281/2 के टच भी नहीं है फिर भी विप्रार्थीगण द्वारा कटान मार्ग को छोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से निकालने पर आमदा है, यदि विप्रार्थीगण कटान मार्ग को छोड़कर प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर से सडक बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरतनीय क्षति होगी। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षार्थ विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौरांने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री [illegible]ीश चौधरी से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं, चूंकि वकील प्रार्थीगण की बहस अनुसार विप्रार्थीगण कटान मार्ग छोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्दर से जबरन सड़क बनाने पर आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है, एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पावन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम लाला की बेरी तहसील नौखडा में खेत खसरा नम्बर 281/2 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि के मौके की यथास्थित बनाए रखें एवं तहसीलदार नौखड़ा वर्तमान चलायमान मार्ग एवं रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी तारीख से पूर्व पेश करें। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 03.02.2023 को पेश हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार नौखड़ा 2. प्रार्थीगण/विप्रार्थीगण (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Ve
Digitally signed by Ke
Meena
Date: 2025.02.25 19:
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
25/10/24	पत्रावली आज पेश हुई। आदेश नहीं लिखा गया। पत्रावली वास्ते पुनः बहस दिनांक 22/11/24 को पेश हो।
22/11/24	पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्ष उपस्थित। पुनः बहस आइन्दा करेंगे। आइन्दा पत्रावली दिनांक 06/12/2024 को पेश हो।
06/12/24	पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्ष उपस्थित। पुनः बहस आइन्दा करेंगे। आइन्दा पत्रावली दिनांक 27/12/24 को पेश हो।
27/12/24	पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्ष उपस्थित। पुनः बहस आइन्दा करेंगे। आइन्दा पत्रावली दिनांक 31/1/25 को पेश हो।
31-01-25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी अनु०। प्रार्थीगण स्वयं अनु०। प्रार्थीगण मय अधिवक्ता को कोर्ट समय में तीन बार आवाजें दिलाई गई। बावजूद तीन-तीन आवाजें दिलाने के प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से उक्त प्रकरण प्रार्थीगण की अदम हाजिरी [illegible] अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Meena
Date: 2025.02.25 19:46:27
Reason: SelfAttested